Rcms/ + 2012/00029

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नरेन्द्र के.वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 43/2012

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर .... **प्रार्थी**

बनाम

1–मोतीराम पुत्र नेकराम " **मृतक** " । जाति काछी
1/1–नथिया पत्नी ।
1/2–निनुआराम । पुत्रगण । निवासी बसईनबाव
1/3–भवानीसिंह । ।
1/4–बिजेन्द्रसिंह । स्व0 मोतीराम । तहसील सैपऊ
1/5–गंगादेवी । पुत्रीयान ।
1/6–मुन्नीदेवी । स्व0 मोतीराम । जिला धौलपुर
2–नाहरसिंह । पुत्रगण ।
3–जयप्रकाश । अमरसिंह ।
4–जमुना पुत्री अमरसिह ।
5–माया पुत्री अमरसिह पत्नी श्याम जाति कुशवाह नि0 बंशी तह रूपवास,भरतपुर
6–पूरनदेई पुत्री अमरसिंह पत्नी रमेशचन्द जाति कुशवाह नि0खेरागढ, आगरा उ0प्र0
7–अनारदेई पुत्री अमरसिंह जाति कुशवाह निवासी वसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
8–गुडडी पुत्री अमरसिंह पत्नी खूबचन्द जाति कुशवाह नि0रुंधकापुरा तहसील मंनिया
9–सावित्री पुत्री अमरसिंह पत्नी जलसिंह जाति कुशवाह नि0बलेकानगला फतेहपुर सीकरी जिला आगरा
10–नवलेश पुत्री अमरसिंह पत्नी करनसिंह जाति कुशवाह नि0तुर्कपुरा जगनेर तहसील खेरागढ जिला आगरा
11–लीलावती पुत्री अमरसिंह पत्नी मुकेश जाति कुशवाह नि0 सिकन्दरपुर तह0 खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
12–ओमवती पुत्री अमरसिंह पत्नी अजमेरसिंह जाति कुशवाह निवासी तुर्कपुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
13–अंगूरी पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति कुशवाह निवासी वसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .... **अप्रार्थीगण**

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी 1व 3 की ओर से – श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांक 28.02.2020**

तहसीलदार सैंपऊ द्वारा यह प्रार्थना पत्र रैफरेन्स अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 05 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2027–30 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। उक्त भूमि आवंटन/नियमन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 417 वाके ग्राम बसईनबाव–ए में रामप्रसाद, हुक्मी, नेकराम पिसरान फददी व अमरसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति काछी निवासी बसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा पर गैर खातेदार दर्ज हुआ। मुताविक रिपोर्ट पटवारी हल्का उक्त सभी आबंटी व्यक्ति फोत हो चुके है उनके वारिसान के नाम से रैफरेन्स प्रकरण बनाया गया है। वर्तमान में जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ में आराजी खसरा नम्बर 6002/1807 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा मृतक आबंटी रामप्रसाद, हुक्मी, नेकराम पिसरान फददी व अमरसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति काछी की गैरखातेदारी में दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण सिविल रिट (जनहित याचिका) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में खसरा नम्बर 6002/1807 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पोखर होने के कारण पूर्व में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने योग्य है। वाद राज0सरकार की ओर से दर्ज कराया जा रहा है। अन्दर मियाद है तथा कोई शुल्क देय नही है। अतः रैफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का बसईनबाव–ए, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027–30 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ, नकल नामान्तरकरण संख्या 417 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 3 की ओर से श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 जमुना व अप्रार्थी

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

संख्या–7 अनारदेई बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 17.04.2013 को अप्रार्थी संख्या 2 नाहरसिंह के विरूद्व दिनांक 29.7.2015 को, अप्रार्थी संख्या–13 अंगूरी के विरूद्व दिनांक 31.5.18 को एवं अप्रार्थी संख्या–1 मृतक मोतीराम के वारिसान एवं अप्रार्थी संख्या 5, 6, 8 लगा0 12 के विरूद्व दिनांक 5.2.2020 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने प्रार्थना पत्र रैफरेन्स का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी आवटंन/नियमन से पूर्व उसकी किस्म गैर मुमकिन पोखर विला लगानी दर्ज रेकार्ड है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन पोखर पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैरमुमकिन भूमि के आवटंन/नियमन नल एण्ड वोयड है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 417 वाके ग्राम वसईनबाव–ए तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाव, पानी का भराव में किसी प्रकार बाधा नही हो। इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। रैफरेन्स प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर प्रकरण स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रकरण में प्रस्तुत जबाव को ही अपनी बहस होना जाहिर किया। उन्होने अपने जबाव में कथन किया है कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन पोखर मौके पर नही रही और ना ही वर्तमान में मौके पर पोखर है बल्कि काश्त हो रही है। विवादित आराजी पर हमेशा से कृषि कार्य होता रहा है। विवादित आराजी रामप्रसाद, हुक्मी, नेकराम पिसरान फददी व अमरसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति काछी निवासी वसईनबाव के हक में नियमानुसार दिनांक 18.2.1976 को उनके पुराने कब्जे काश्त के आधार पर सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमन किया था और नियमन से पूर्व सक्षम अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन का आदेश किया था। इन्तकाल नम्बर 417 ग्राम वसईनबाव–ए श्रीमान एडीएम साहब धौलपुर के आदेश की पालना में भरा गया है और उक्त जमीन की कीमत राज्य सरकार को अदा की गई थी। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान अपने ही आदेशों के विरूद्व रैफरेन्स नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण पूर्व आबंटीयों के वारिसान है और उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। आबंटीयों के हक में हुये नियमन आदेशों को किसी भी न्यायालय में म्यिाद के अन्दर चुतौती नहीं दी गई

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

है। अतः नियमन का आदेश अंतिम हो चुका है जिसके विरूद्व रैफरेन्स कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। इस रैफरेन्स द्वारा नियमन आदेशों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त रैफरेन्स कार्यवाही लगभग 37 सालो के पुराने दाखिल खारिज संख्या 417 के विरूद्व अब पेश की गई है जो म्यिाद के विन्दू पर ही काबिल खारिजी के है। रेफरेन्स अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का बसईनबाव–ए, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2027–30 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ, नकल जमावन्दी सम्वत 2067 से 70 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ, नकल नामान्तरकरण संख्या 417 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ के अवलोकन से यह भलिभाँति सिद्व होता है कि विवादित आराजी आवटंन/नियमन से पूर्व उसकी किस्म गैर मुमकिन पोखर विला लगानी दर्ज रेकार्ड है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन पोखर पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैरमुमकिन भूमि के आवटन/नियमन नल एण्ड वोयड है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 417 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाव, पानी का भराब में किसी प्रकार बाधा नही हो इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दिये निर्देश अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6002/1807 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर का आवंटन/नियमन नल एण्ड वॉयड है उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 417 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। जिसको कि निरस्त किया जाना हमारी राय में उचित प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना उचित होगा।

अतः ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ के आराजी खसरा नम्बर 6002/1807 रकवा 01 वीधा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर जिसका कि आवंटन/नियमन मृतक रामप्रसाद, हुक्मी, नेकराम पिसरान फददी व अमरसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति काछी निवासी वसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के हक में किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। जिसका आबंटन/नियमन एवं

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः सरकार बनाम मोतीराम वगैरा
रैफरेन्स प्रकरण संख्या 43/2012

गैरखातेदारी अधिकार नामान्तकरण संख्या 417 ग्राम बसईनबाव–ए निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 01-05-2020 नियत की जाती है। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)